रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102025-266971
CG-DL-E-16102025-266971

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4568]	**नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 16, 2025/आश्विन 24, 1947**
No. 4568]	**NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2025/ASVINA 24, 1947**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4697(अ).— केंद्रीय सरकार, धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 9क के उपनियम (2) के खंड (ज) के उपखंड (ii) के अनुसरण में, विनियामक के परामर्श से, यह अधिसूचित करती है कि धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 9 के उपनियम (1क), उपनियम (1ग) और उपनियम(1घ) के उपबंध, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) रजिस्ट्रीकरण अभिकरण} विनियम, 2011 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (च) में यथा परिभाषित "मध्यवर्ती के अर्थ में" रिपोर्टिंग सत्ताओं के वर्ग पर निम्नलिखित संशोधनों के साथ लागू होंगे, अर्थात्:--

(क) उक्त रिपोर्टिंग सत्ताओंके पास केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआरआर) पर सीधे या "केवाईसी रजिस्ट्रीकरण अभिकरण" (केआरए) के माध्यम से केवाईसी रिकॉर्ड अपलोड करने का विकल्प होगा, जैसा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड {केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) रजिस्ट्रीकरण अभिकरण} विनियम, 2011 के विनियम (2) के उपविनियम (1) के खंड (ज) में परिभाषित किया गया है; केआरए के साथ रिपोर्टिंग इकाई द्वारा अपलोड की गई और बाद में केआरए द्वारा सीकेवाईसीआरआर पर अपलोड की गई

केवाईसी जानकारी को नियम 9 के उपनियम (1क) के प्रयोजनों के लिए सीकेवाईसीआरआर पर रिपोर्टिंग सत्ताओं द्वारा अपलोड किया गया समझा जाएगा;

(ख) केआरए के साथ ऐसी किसी रिपोर्टिंग सत्ता द्वारा अपलोड किए गए और बाद में केआरए द्वारा सीकेवाईसीआरआर पर अपलोड किए गए केवाईसी रिकॉर्ड के संबंध में अतिरिक्त या अद्यतन जानकारी को नियम 9 के उपनियम (1घ) के प्रयोजनों के लिए सीकेवाईसीआरआर पर रिपोर्टिंग सत्ता द्वारा अपलोड समझा जाएगा और सीकेवाईसीआरआर द्वारा केआरए को केवाईसी रिकॉर्ड के संबंध में अद्यतन की अधिसूचना को सीकेवाईसीआरआर द्वारा रिपोर्टिंग सत्ता को ऐसे केवाईसी रिकॉर्ड के अद्यतन की सूचना देना समझा जाएगा ; और

(ग) उक्त रिपोर्टिंग सत्ता, नियम 9 के उपनियम (1ग) के प्रयोजनों के लिए, सीकेवाईसीआरआर से सीधे या केआरए के माध्यम से केवाईसी अभिलेख प्राप्त कर सकेंगी ।

[फा. सं. पी-12011/14/2024-ईएस सेल-डीओआर]

प्रशांत सागर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2025

S.O. 4697(E).— In pursuance of sub-clause (ii) of clause (h) of sub-rule (2) of rule 9A of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, the Central Government in consultation with the Regulator hereby notifies that the provisions of sub-rule (1A), (1C) and (1D) of rule 9 of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 shall apply to the class of reporting entities "within the meaning of intermediary" as defined in clause (f) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011 with the following modifications, namely:-

(a) the said reporting entities shall have the option to upload KYC records on Central KYC Records Registry (CKYCRR) directly or through "KYC Registration Agency" (KRA) as defined in clause (h) of sub-regulation (1) of regulation (2) of the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011; and the KYC information uploaded by a reporting entity with the KRA and subsequently uploaded by the KRA on the CKYCRR shall be deemed to be an upload by the reporting entity on the CKYCRR for the purposes of sub-rule (1A) of rule 9;

(b) the additional or updated information in respect of the KYC records uploaded by any such reporting entity with the KRA and subsequently uploaded by the KRA on the CKYCRR shall be deemed to be an upload by the reporting entity on the CKYCRR for the purposes of sub-rule (1D) of rule 9 and notification of updates in respect of KYC records by the CKYCRR to the KRAs shall be deemed as CKYCRR informing the reporting entity of the update of such KYC records; and

(c) the said reporting entities may for the purposes of sub-rule (1C) of rule 9, retrieve the KYC records from CKYCRR directly or through KRA.

[F. No. P-12011/14/2024-ES Cell-DOR]

PRASHANT SAGAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA